कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1927 / FP/UK/ROAD/23941/2017 :देहरादून:दिनांक: 10- फरवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड में रायपुर–कुमाल्डा मोटर मार्ग के कि0मी0 35 से घेना गांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.0825 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 63 / 2019 / एफ0सी0 / 2112 दिनांक 17–12–2019

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में उप वन संरक्षक, नरेन्द्रनगर के पत्रांक 2758 / 12–1 दिनांक 12.03.2020 तथा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त के पत्रांक 1626 / 12–1 दिनांक 04.02.2023 के द्वारा आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

1. **शर्त संख्या–1** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु मु0 12,76,702.00 धनराशि जमा की गयी है। प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.165 हे0 ग्राम–घेना, पट्टी सकलाना तहसील धनोल्टी की सिविल सोयम भूमि जिस पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना है का नामान्तरण विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी टिहरी के आदेश सं0 522/XI-131(2019-20) दिनांक 19.02.2020 के क्रम में किया गया। तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–1)**

2. **शर्त संख्या–2** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–घेना, पट्टी सकलाना तहसील धनोल्टी की 4.165 हे0 सिविल भूमि को **"संरक्षित वन"** घोषित करने हेतु सचिव (प्रभारी), वन अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1298/X-3-21/01(35)/2019 दिनांक 05.10.2021 द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**

3. **शर्त संख्या–3** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.698 हे0 एवं मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 0.3835 हे0 कुल 2.0825 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से कुल रू0 17,59,714.00 की शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि जमा की गयी है।

4. **शर्त संख्या–4** के अनुपालन में एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होने की दशा में बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धी प्रस्तावक विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्न–3)**

5. **शर्त संख्या–5** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा सभी निधियाँ (सी0ए0, एन0पी0वी0) आदि को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन के माध्यम से जमा करवाया गया है।

6. **शर्त संख्या–6** के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तावित परियोजना में कुल (69+115) कुल 184 वृक्षों का पातन किया जायेगा प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–4)**

7. **शर्त संख्या–7** के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण की योजना संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्न–5)** रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा, तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। **(संलग्न–6)**

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

10/02/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,

संख्या / FP/UK/ROAD/23941/2017 तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप वन संरक्षक, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
2. उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,